



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2015/ज्येष्ठ 8, 1937

No. 200]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2015/JYAISTHA 8, 1937

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

(क्षेत्रीय कार्यालय, ओडिशा)

(आई एस ओ 9001: 2008 प्रमाणित)

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.रा.बी.योजना का अंतर्गत पुरी में स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं. 44-वी-34/12/30/07-हित.—यह एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली, 1950 का विनियम 10 (क) का अंतर्गत ओडिशा राज्य का जिला पुरी में पुरी श्रम की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना का जारी होने की तारीख सप्रभावी होगी।

- | | |
|---|-----------|
| 1. <u>विनियम 10(क)(1)(क) का अंतर्गत</u>
उप जिलाधिकारी, पुरी | : अध्यक्ष |
| 2. <u>विनियम 10-(क)(1)(ख) का अंतर्गत</u>
जिला श्रम अधिकारी, पुरी | : सदस्य |
| 3. <u>विनियम 10-(क)(1)(ग) का अंतर्गत</u>
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क.रा.बी.औषधालय, पुरी | : सदस्य |
| 4. <u>विनियम 10-(क)(1)(घ) का अंतर्गत</u>
i. श्री डी.बी.बनर्जी, मसर्स होटल ओशन व्यू,
समुद्र तट, पुरी | : सदस्य |
| ii. श्री राज किशोर पात्र, मसर्स हॉलिड-रिजॉर्ट (प्रा.) लि.
चक्रतीर्थ रोड, पुरी | : सदस्य |
| 5. <u>विनियम 10-(क)(1)(ड) का अंतर्गत</u>
i. श्री मोहन च.ओझा, होटल होलिड-रिजॉर्ट (प्रा.) लि. का
सीटी रोड, पुरी | : सदस्य |
| ii. श्री दवेन्द्र कुमार राय, प्रबंधक (पी एंड ए) मध्यम,
सीटी रोड, पुरी | : सदस्य |
| 6. <u>विनियम 10-(क)(1)(च) का अंतर्गत</u>
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, पुरी | : सदस्य |

पदन सचिव

जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक

[विज्ञापन.।।।/4/ असा./42/14]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION)

(REGIONAL OFFICE, ODISHA)

(ISO 9001:2008 CERTIFIED)

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub :Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Puri.

No. 44-V-34/12/30/07-Bft.—It is hereby notified that the local committee Puri, in the District of Puri, in the State of Odisha set up under Regulation-10(A) of E.S.I.(General) Regulation,1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Under Regulation 10(A)(1)(a)
Sub-Collector, Puri | : Chairman |
| 2. Under Regulation 10(A)(1)(b)
Dist. Labour Officer, Puri | : Member |
| 3. Under Regulation 10(A)(1)(c)
Insurance Medical Officer-In-Charge
of E.S.I. Dispensary, Puri | : Member |
| 4. Under Regulation 10(A)(1)(d)
i. Sri D. B. Banarjee, M/s. Hotel Ocean View,
Sea Beach, Puri | :Member |
| ii. Sri Raj Kishore Patra, M/s. Holiday Resort (P) Ltd.,
Chakratirtha Road, Puri | : Member |
| 5. Under Regulation 10(A)(1)(e)
i. Sri Mohan Ch. Ojha, Chief Executive of Hotel Holiday Resort (P) Ltd.,
CT Road, Puri | : Member |
| ii. Sri Debendra Kumar Ray, Manager (P & A) of May Fair,
CT Road, Puri | : Member |
| 6. Under Regulation 10(A)(1)(f)
Branch Manager, Branch Office, E.S.I. Corporation, Puri | : Member
Ex-Officio Secretary |

G.H.DAS, Regional Director

[ADVT.III/4/ Ety./42/14]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.रा.बी.योजना के अंतर्गत जैपुर में स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं. 44-वी-34/12/27/87-हित.—यह एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली, 1950 के विनियम 10 (क) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के जिला कोरापुट में जैपुर क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख सप्रभावी होगी।

- | | |
|--|-----------|
| 1. <u>विनियम 10(क)(1)(क) के अंतर्गत</u>
उप जिलाधिकारी, कोरापुट | : अध्यक्ष |
| 2. <u>विनियम 10-(क)(1)(ख) के अंतर्गत</u>
जिला श्रम अधिकारी, कोरापुट | : सदस्य |
| 3. <u>विनियम 10-(क)(1)(ग) के अंतर्गत</u>
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क.रा.बी.औषधालय, जैपुर | : सदस्य |
| 4. <u>विनियम 10-(क)(1)(घ) के अंतर्गत</u>
i. श्री मनोज कुमार स्वाई, प्रबंधक (एच आर),बिल्ट ग्राफिक पब्लिशिंग
प्रोडक्ट्स लि., यूनिट-सबा, एट- गगनपुर, पोस्ट- जैपुर (आरएस)
जिला- कोरापुट | : सदस्य |

- ii. श्री ए.राम कृष्ण मूर्ति, मसर्स एस.क.एम.एल. कश्चु इंडस्ट्री, रूवरुटेशन
रोड, एट/पोस्ट- जैपुर, जिला- कोरापुट : सदस्य
5. विनियम 10-(क)(1)(ड) का अंतर्गत
- i. श्री जयंत कुमार संतरा, महासचिव, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज : सदस्य
एमप्लॉईस यूनियन, एट- गगनपुर, पो- जैपुर (आरएस), जिला-कोरापुट
- ii. श्री जनार्दन प्रधान, महासचिव, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट होटल एंड रेस्टोरेंट : सदस्य
एमप्लॉईस यूनियन, एट- पार्क स्ट्रीट, पो- जैपुर, जिला—कोरापुट
6. विनियम 10-(क)(1)(व) का अंतर्गत
- शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, जैपुर : सदस्य
पदन सचिव

जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक

[विज्ञापन.III/4/ असा./42/14]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub:Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Jeypore.

No. 44-V-34/12/27/87-Bft.—It is hereby notified that the local committee Jeypore, in the District of Koraput, in the State of Odisha set up under Regulation-10(A) of E.S.I.(General) Regulation, 1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

1. Under Regulation 10(A)(1)(a) : Chairman
Sub-Collector, Koraput
2. Under Regulation 10(A)(1)(b) : Member
Distt. Labour Officer, Koraput
3. Under Regulation 10(A)(1)(c) : Member
Insurance Medical Officer-In-Charge
of E.S.I. Dispensary, Jeypore
4. Under Regulation 10(A)(1)(d) : Member
i. Sri Manoj Kumar Swain, Manager (HR), Bilt Graphic Paper
Products Ltd., Unit: Sewa, At- Gaganpur, P.O.- Jeypore(RS)
Dist.- Koraput
ii. Sri A.Ram Krishna Murty, M/s. S.K.M.L. Cashew Industry,
Railway Station Road, At/PO Jeypore, Dist. Koraput
5. Under Regulation 10(A)(1)(e) : Member
i. Sri Jayanta Kumar Santra, General Secretary, Ballarpur Industries
Employees Union, At: Gaganpur, PO: Jeypore(RS), Dist: Koraput
ii. Sri Janardan Pradhan, General Secretary, Koraput District
Hotel & Restaurants Employees Union, At: Park Street, PO: Jeypore
Dist: Koraput
6. Under Regulation 10(A)(1)(f) : Member
Branch Manager, Branch Office,
E.S.I. Corporation, Jeypore
Ex-Officio Secretary
G.H. DAS, Regional Director
[ADVT.III/4/ Ety./42/14]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.रा.बी. योजना के अंतर्गत राजगांगपुर में स्थानीय समिति का पुनर्गठन ।

सं. 44-वी-34/12/04/82-हित.—यह एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली 1950 के विनियम 10 (क) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के जिला सुंदरगढ़ में राजगांगपुर क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख सप्रभावी होगी ।

- | | |
|---|-----------|
| 1. <u>विनियम 10(क)(1)(क) के अंतर्गत</u>
उप जिलाधिकारी, सुंदरगढ़ | : अध्यक्ष |
| 2. <u>विनियम 10-(क)(1)(ख) के अंतर्गत</u>
जिला श्रम अधिकारी, सुंदरगढ़ | : सदस्य |
| 3. <u>विनियम 10-(क)(1)(ग) के अंतर्गत</u>
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क.रा.बी. औषधालय, राजगांगपुर | : सदस्य |
| 4. <u>विनियम 10-(क)(1)(घ) के अंतर्गत</u>
i. श्री संजीव साहू, उपप्रबंधक (एच आर), ओसिएल इंडिया लि.
राजगांगपुर | : सदस्य |
| ii. श्री एन.के. बारिक, पर्सनल ऑफिसर, मस्सर्स सुशीला इंडस्ट्रीज,
राजगांगपुर, जिला- सुंदरगढ़ | : सदस्य |
| 5. <u>विनियम 10-(क)(1)(ड) के अंतर्गत</u>
i. श्री सनातन बिश्वाल, उपाध्यक्ष, सुंदरगढ़ मज़दूर संघ,
राउरकला | : सदस्य |
| ii. श्री सत्या प्रिय महान्ति, संयुक्त सचिव, ओडिशा सीमेंट वर्कर्स यूनियन,
राजगांगपुर, जिला- सुंदरगढ़ | : सदस्य |
| 6. <u>विनियम 10-(क)(1)(च) के अंतर्गत</u>
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, राजगांगपुर | : सदस्य |

पदम सचिव

जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक

[चिज्ञापन.।।।/4/ असा./42/14]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub : Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Rajgangpur.

No.44-V-34/12/04/82-Bft.—It is hereby notified that the local committee Rajgangpur in the District of Sundergarh, in the State of Odisha set up under Regulation-10(A) of E.S.I.(General) Regulation,1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

- | | |
|--|------------|
| 1. <u>Under Regulation 10(A)(1)(a)</u>
Sub-Collector, Sundargarh | : Chairman |
| 2. <u>Under Regulation 10(A)(1)(b)</u>
Dist. Labour Officer, Sundargarh | : Member |
| 3. <u>Under Regulation 10(A)(1)(c)</u>
Insurance Medical Officer-In-Charge
of E.S.I. Dispensary, Rajgangpur | : Member |
| 4. <u>Under Regulation 10(A)(1)(d)</u>
i. Sri Sanjeeb Sahu, Deputy Manager, (HR), OCL India
Ltd., Rajgangpur | : Member |
| ii. Sri N. K. Barik, Personnel Officer, M/s. Sushila Industries,
Rajgangpur, Dist-Sundargarh | : Member |

5. Under Regulation 10(A)(1)(e)

- i. Sri Sanatan Biswal, Vice President, Sundargarh Mazdoor Sangha, Rourkela : Member
- ii. Sri Satya Priya Mohanty, Joint Secretary, Orissa Cement Workers Union, Rajgangpur : Member
Dist: Sundargarh

6. Under Regulation 10(A)(1)(f)

- Branch Manager, Branch Office, E.S.I. Corporation, Rajgangpur : Member
Ex-Officio Secretary
- G.H.DAS, Regional Director
[ADVT.III/4/ Exty./42/14]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चौद्वार में स्थानीय समिति का पुनर्गठन ।

सं. 44-वी-34/12/06/82-हित.—यह एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली 1950 के विनियम 10 (क) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के जिला कटक में चौद्वार क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे । यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी ।

पूर्व में चौद्वार, नुआपाटना, टीपीएम एवं भगतपुर में गठित स्थानीय समिति एतद द्वारा चौद्वार की स्थानीय समिति के साथ विलीन हो गई ।

1. विनियम 10(क)(1)(क) के अंतर्गत : अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी, कटक
2. विनियम 10-(क)(1)(ख) के अंतर्गत : सदस्य
जिला श्रम अधिकारी
3. विनियम 10-(क)(1)(ग) के अंतर्गत : सदस्य
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क.रा.बी. औषधालय, चौद्वार
4. विनियम 10-(क)(1)(घ) के अंतर्गत : सदस्य
i. श्री पी.क.महान्ति, कनिष्ठ अधिकारी, (पीएनएल),
मसर्स इम्फा लिमिटेड, चौद्वार, जिला- कटक
- ii. कांतिलाल परबिया, कार्यकारी, मसर्स चम्पादानी इंडस्ट्रीज़
लिमिटेड, एट/पोस्ट- चौद्वार, जिला- कटक : सदस्य
5. विनियम 10-(क)(1)(ड) के अंतर्गत : सदस्य
iii. श्री बलराम साहनी, महासचिव, लिब्रा कार्पेट मज़दूर संघ
चौद्वार, जिला-कटक
- iv. श्री चरण बराल, श्रमिकों के प्रतिनिधि इंफा वर्कर्स
प्रतिनिधि मण्डली कपलेश्वर, चौद्वार, जिला—कटक : सदस्य
6. विनियम 10-(क)(1)(च) के अंतर्गत : सदस्य
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चौद्वार

पदन्न सचिव

जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक

[विज्ञापन.III/4/ असा./42/14]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub:Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Choudwar.

No. 44-V-34/12/06/82-Bft.—It is hereby notified that the local committee in Choudwar, in the District of Cuttack, in the State of Odisha set up under Regulation-10(A) of E.S.I. (General) Regulation-1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

The local committee constituted earlier at area Choudwar, Nuapatna, T.P.M., Bhagatpur are hereby merged with Choudwar Local Committee.

1. Under Regulation 10(A)(1)(a) : Chairman
Sub-Collector, Cuttack
2. Under Regulation 10(A)(1)(b) : Member
Distt. Labour Officer, Cuttack
3. Under Regulation 10(A)(1)(c) : Member
Insurance Medical Officer-In-Charge
of E.S.I. Dispensary, Choudwar
4. Under Regulation 10(A)(1)(d) : Member
 - i. Sri P.K. Mohanty, Junior Officer, (PNL) M/s. IMFA
Ltd., Choudwar, Dist- Cuttack
 - ii. Kantilal Parabiya, Executive, M/s. Champadany Industries
Ltd., At/PO- Choudwar, Dist- Cuttack
5. Under Regulation 10(A)(1)(e) : Member
 - i. Sri Balaram Sahani, General Secretary, Libra Carpet Mazdoor Sangha
Choudwar, Dist- Cuttack
 - ii. Sri Charan Baral, Workers Representative IMFA Workers
Pratinidhi Mandali Kapaleswar, Choudwar, Dist- Cuttack
6. Under Regulation 10(A)(1)(f) : Member
Branch Manager, Branch Office, E.S.I. Corporation, Choudwar
Ex-Officio Secretary
G. H. DAS, Regional Director
[ADVT.III/4/ Exty./42/14]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.रा.बी. योजना के अंतर्गत जाजपुर रोड में स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं. 44-वी-34/12/7/82-हित.—यह एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली 1950 का विनियम 10 (क) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के जिला जाजपुर में जाजपुर रोड क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख संप्रभावी होगी।

1. विनियम 10(क)(1)(क) के अंतर्गत : अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी, जाजपुर
2. विनियम 10-(क)(1)(ख) के अंतर्गत : सदस्य
जिला श्रम अधिकारी, जाजपुर
3. विनियम 10-(क)(1)(ग) के अंतर्गत : सदस्य
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी

क.रा.बी.औषधालय, जाजपुर रोड

4. विनियम 10-(क)(1)(घ) के अंतर्गत

i. श्री विन्मय कुमार पोद्दार, कार्यकारी निदेशक, मसर्स नीलाचल इस्पात निगम लि. : सदस्य
कलिंग नगर, जिला-जाजपुर

ii. श्री ज.पी.जना, महाप्रबंधक(एच आर & आई आर), मसर्स जिंदल स्टीनलस लि., : सदस्य
कलिंग नगर, जाजपुर रोड

iii. श्री दामोदर सामल, प्रबंधक(एच आर), मसर्स फ़्यो क्रोम & अल्तोयस लि., जाजपुर : सदस्य

iv. श्री दिलीप कुमार महापात्र, वरिष्ठ प्रबंधक(पीएनएल प्रशा & सुरक्षा),

मसर्स फ़कोर, चार्ज क्रोम प्लांट, रंडिया, भद्रक

5. विनियम 10-(क)(1)(ड) के अंतर्गत

i. श्री बदाधर महानि, अध्यक्ष, जिंदल स्टीनलस कांस्ट्रक्टर श्रमिक यूनियन, : सदस्य
जाजपुर रोड

ii. श्री अक्षय साहू, महासचिव, कलिंग नगर मज़दूर संघ, जाजपुर रोड : सदस्य

iii. श्री प्रताप कुमार जना, महासचिव, कलिंग नगर श्रमिक संघ, जाजपुर रोड : सदस्य

iv. श्री नीलामाधव दास, महासचिव, चार्ज क्रोम एम्प्लॉईस यूनियन,

फ़कोर, चार्ज क्रोम प्लांट, रंडिया, भद्रक

6. विनियम 10-(क)(1)(च) के अंतर्गत

शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, जाजपुर रोड

: सदस्य

पदम सचिव

जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक

[विज्ञापन. III/4/ असा./42/14]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub:Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Jajpur Road.

No. 44-V-34/12/7/82-Bft.—It is hereby notified that the local committee Jajpur Road, in the District of Jajpur, in the State of Odisha set up under Regulation-10(A) of E.S.I. (General) Regulation-1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

The local committee constituted earlier at Randia (Bhadrak) is hereby merged with Jajpur Road Local Committee.

1. Under Regulation 10(A)(1)(a) : Chairman

Sub-Collector, Jajpur

2. Under Regulation 10(A)(1)(b) : Member

Distt. Labour Officer, Jajpur

3. Under Regulation 10(A)(1)(c)

Insurance Medical Officer-In-Charge of E.S.I. Dispensary, Jajpur Road : Member

4. Under Regulation 10(A)(1)(d)

i. Sri Chinmay Kumar Poddar, Executive Director, M/S. Nilachal Ispat

Nigam Ltd., Kalinga Nagar, Dist: Jajpur

: Member

- ii. Sri J.P. Jena, General Manager (HR & IR), M/s. Jindal Stainless : Member
Ltd. , Kalinga Nagar, Jajpur Road
- iii. Sri. Damoder Samal, Manager (HR), M/s. Ferro Chrome & Alloys : Member
Ltd. , Jajpur Road
- iv. Sri Dillip Kumar Mohapatra, Senior Manager (Pnl. Admn & Safety), : Member
M/s. FACOR, Charge Chrome Plant, Randia, Bhadrak
5. Under Regulation 10(A)(1)(e)
- i. Sri Badyadhar Mohanty, President, Jindal Stainless Contractor : Member
Labour Union, Jajpur Road
- ii. Sri Akhay Sahoo, General Secretary, Kalinga Nagar Mazdoor Sangha, : Member
Jajpur Road
- iii. Sri Pratap Kumar Jena, General Secretary, Kalinga Nagar Shramika : Member
Sangha, jajpur Road
- iv. Sri Nilamadhava Das, General Secretary, Charge Chrome Employees : Member
Union, FACOR, Charge Chrome Plant, Randia, Bhadrak
6. Under Regulation 10(A)(1)(f)
- Branch Manager, Branch Office : Member
E.S.I. Corporation, Jajpur Road
- Ex-Officio Secretary
G.H.DAS, Regional Director
[ADVT.III/4/Exty./42/14]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.रा.बी.योजना के अंतर्गत बड़बिल में स्थानीय समिति का पुनर्गठन ।

सं. 44-वी-34/12/17/82-हित.—यह एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली 1950 के विनियम 10 (क) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के जिला तयोंझर में बड़बिल क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख सप्रभावी होगी ।

1. विनियम 10(क)(1)(क) के अंतर्गत : अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी, तयोंझर
2. विनियम 10-(क)(1)(ख) के अंतर्गत : सदस्य
जिला श्रम अधिकारी, तयोंझर
3. विनियम 10-(क)(1)(ग) के अंतर्गत : सदस्य
प्रभासी बीमा विकित्सा अधिकारी
क.रा.बी.औषधालय, बड़बिल
4. विनियम 10-(क)(1)(घ) के अंतर्गत
 - i. श्री मनोज कुमार पालो, प्रबंध निदेशक, मजर्स इंडकोल : सदस्य
कलिंग इंडस्ट्रियल वर्क लि., माटकमबड़ा, तयोंझर
 - ii. श्री प्रवश पांडे सहायक महाप्रबंधक(प्रशा), मजर्स आर्च आइरन एंड स्टील कं. : सदस्य

प्रा.लि., माटकमबड़ा, वयोंझर

5. विनियम 10-(क)(1)(ड) के अंतर्गत

i. श्री विमल रॉय, महासचिव, कलिंग आइरन वर्क्स वर्कर्स यूनियन,
माटकमबड़ा, वयोंझर : सदस्य

ii. श्री दुर्गा माधव स्वर, द्वारा -आर्य आइरन एंड स्टील कं.
प्रा.लि., माटकमबड़ा, वयोंझर : सदस्य

6. विनियम 10-(क)(1)(च) के अंतर्गत

शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.स.बी.निगम, बड़बिल : सदस्य

पदन सचिव

जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक

[विज्ञापन.III/4/ असा./42/14]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub:Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Barbil.

No. 44-V-34/12/17/82Bft.—It is hereby notified that the local committee at Barbil, in the District of Keonjhar, in the State of Odisha set up under Regulation-10(A) of E.S.I. (General) Regulation-1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

1. Under Regulation 10(A)(1)(a) : Chairman

Sub-Collector, Keonjhar

2. Under Regulation 10(A)(1)(b) : Member

Distt. Labour Officer, Keonjhar

3. Under Regulation 10(A)(1)(c) : Member

Insurance Medical Officer-In-Charge

of E.S.I. Dispensary, Barbil

4. Under Regulation 10(A)(1)(d) :Member

i. Mr. Majoj Kumar Palo, Managing Director, M/s IDCOL

Kalinga Industrial Work Ltd. , Matkanbeda, keonjhar

ii. Mr. Parvesh Pandey, AGM(Admin)M/s Arya Iron & Steel Co. Pvt. Ltd. : Member

Matkanbeda, Keonjhar

5. Under Regulation 10(A)(1)(e) : Member

i. Sri Bimal Roy, General Secretary, Kalinga Iron Works Workers Union,

Matkanbeda, Keonjhar

ii. Durga Madhab Swar, C/o: Arya Iron & Steel Co. Pvt. Ltd. : Member

Matkabeda, Keonjhar

6. Under Regulation 10(A)(1)(f) : Member

Branch Manager, Branch Office,

E.S.I. Corporation, Barbil

Ex-Officio Secretary

G.H.DAS, Regional Director

[ADVT.III/4/ Ety./42/14]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.रा.बी.योजना के अंतर्गत भुवनेश्वर में स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं. 44-वी-34/12/22/82-हित.—यह एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली 1950 के विनियम 10 (क) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के जिला खुर्दा में भुवनेश्वर क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख सप्रभावी होगी।

- | | |
|--|-----------|
| 1. <u>विनियम 10(क)(1)(क) के अंतर्गत</u>
उप जिलाधिकारी, भुवनेश्वर | : अध्यक्ष |
| 2. <u>विनियम 10-(क)(1)(ख) के अंतर्गत</u>
जिला श्रम अधिकारी, भुवनेश्वर | : सदस्य |
| 3. <u>विनियम 10-(क)(1)(ग) के अंतर्गत</u>
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क.रा.बी.औषधालय, भुवनेश्वर | : सदस्य |
| 4. <u>विनियम 10-(क)(1)(घ) के अंतर्गत</u>
i. श्री आर.आर.महान्ति, उप महाप्रबंधक, मसर्स इंफा, भोमिखल,
भुवनेश्वर | : सदस्य |
| ii. श्री एस.के.महापात्र, सहायक महाप्रबंधक, मसर्स होटल मस्यर
जयदेव विहार, भुवनेश्वर | : सदस्य |
| iii. श्री अरुण पट्टनायक, प्रबंध निदेशक, मसर्स शक्ति इलक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि.
मंचेश्वर इंडस्ट्रियल इस्टेट, भुवनेश्वर | : सदस्य |
| 5. <u>विनियम 10-(क)(1)(ड) के अंतर्गत</u>
i. श्री नव किशोर महान्ति, अध्यक्ष, राजधानी परिवहन कर्मचारी संघ,
32, अशोक नगर, भुवनेश्वर | : सदस्य |
| ii. श्री सौरीबंधु कर, महासचिव, एआईटीयूसी, 3R-156, यूनिट-9,
(रोड नंबर-2), भुवनेश्वर-22 | : सदस्य |
| iii. श्री बांकानिधि, सचिव, भारतीय मज़दूर संघ,
VA/23/3/, अशोक नगर, भुवनेश्वर | : सदस्य |
| 6. <u>विनियम 10-(क)(1)(च) के अंतर्गत</u>
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी. निगम, भुवनेश्वर | : सदस्य |

पदम सचिव
जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक

[विज्ञापन.111/4/ असा./42/14]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub: **Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Bhubaneswar.**

No. 44-V-34/12/22/82-Bft.—It is hereby notified that the local committee at Bhubaneswar, in the District of Khurda, in the State of Odisha set up under Regulation-10(A) of E.S.I. (General) Regulation-1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

The local committee constituted earlier at Baranga and Chandrasekharpur are hereby merged with Bhubaneswar Local Committee.

- | | |
|--|------------|
| 1. <u>Under Regulation 10(A)(1)(a)</u>
Sub-Collector, Bhubaneswar | : Chairman |
| 2. <u>Under Regulation 10(A)(1)(b)</u>
Distt. Labour Officer, Bhubaneswar | : Member |
| 3. <u>Under Regulation 10(A)(1)(c)</u>
Insurance Medical Officer-In-Charge of E.S.I. Dispensary,
Saheed Nagar, Bhubaneswar | : Member |

4. Under Regulation 10(A)(1)(d)

- i. Sri R.R.Mohanty, Dy. General Manager, M/s IMFA, Bomikhal : Member
Bhubaneswar
- ii. Sri S.K. Mohapatra, Asst. General Manager, M/s: Hotel May Fair, : Member
Jayadev Vihar, Bhubaneswar
- iii. Sri Arun Pattanaik, Managing Director, M/S Shakti Electronics Pvt. Ltd. : Member
Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar

5. Under Regulation 10(A)(1)(e)

- i. Sri Naba Kishore Mohanty, President, Rajadhani Paribahan Karmachari : Member
Sangha, 32, AshokNagar, Bhubaneswar
- ii. Sri Souribandhu kar, General Secy., AITUC, 3R-156, Unit-9 : Member
(Road no. 2) Bhubaneswar-22
- iii. Sri Bankanidhi Sahoo, Secretary, Bharatiya Mazdoor Sangha : Member
VA/23/3/, Ashok Nagar, Bhubaneswar

6. Under Regulation 10(A)(1)(f)

- Branch Manager, Branch Office, : Member
E.S.I. Corporation, Bhubaneswar
- Ex-Officio Secretary
G.H. DAS, Regional Director
[ADVT.III/4/ Exty./42/14]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.रा.बी.योजना के अंतर्गत अनगुल में स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं. 44-बी-34/12/27/87-हित.—यह एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली 1950 के विनियम 10 (क) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के जिला अनगुल में अनगुल क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

1. विनियम 10(क)(1)(क) के अंतर्गत : अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी, अनगुल
2. विनियम 10-(क)(1)(ख) के अंतर्गत : सदस्य
जिला श्रम अधिकारी, अनगुल
3. विनियम 10-(क)(1)(ग) के अंतर्गत : सदस्य
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क.रा.बी.औषधालय, अनगुल
4. विनियम 10-(क)(1)(घ) के अंतर्गत
 - i. श्री आदित्य विक्रम अग्रवाल, मसर्स मॉ' बुधी मटल इंडस्ट्रीज़, : सदस्य
प्लॉट संख्या-36, इंडस्ट्रियल इस्टेट, जिला- अनगुल
 - ii. श्री राजेंद्र बह्मरा, महाप्रबंधक, मसर्स अमृतश इंडस्ट्रीज़ (प्रा.) लि. : सदस्य
आई.ई.3/7 & 8, इंडस्ट्रियल इस्टेट, जिला- अनगुल

5. विनियम 10-(क)(1)(ड) का अंतर्गत

- i. श्री आर का बहदा, सचिव, नाल्को ठिका मज़दूर संघ, : सदस्य
नाल्कोनगर, अंगुल
- ii. श्रीकुमार साहू, उपाध्यक्ष, ग्राम-कुरुडोल, पी.टी.सी. का पास, : सदस्य
अंगुल, नाल्को श्रमिक कॉंग्रेस यूनियन (ठिका मज़दूर शाखा)

6. विनियम 10-(क)(1)(च) का अंतर्गत

- शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, अंगुल : सदस्य
पटन सचिव
जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक
[विज्ञापन. III/4/ असा./42/14]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub: **Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Angul.**

No. 44-V-34/12/27/87-Bft.—It is hereby notified that the local committee Angul, in the District of Angul, in the State of Odisha set up under Regulation-10(A) of E.S.I.(General) Regulation-1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

1. Under Regulation 10(A)(1)(a)

Sub-Collector, Angul : Chairman

2. Under Regulation 10(A)(1)(b)

Distt. Labour Officer, Angul : Member

3. Under Regulation 10(A)(1)(c)

Insurance Medical Officer-In-Charge : Member
of E.S.I. Dispensary, Angul

4. Under Regulation 10(A)(1)(d)

- i. Sri Aditya Bikram Agrawal, M/s. Maa Budhi Metal Industries, : Member
Plot No.36, Industrial Estate, Angul
- ii. Sri Rajendra Behera, General Manager : Member
M/s. Amritesh Industries (P) Ltd., I.E. 3/7&8
Industrial Estate, Angul

5. Under Regulation 10(A)(1)(e)

- i. Sri R. K. Behera, : Member
Secretary, NALCO Thika Mazdoor Sangha,
Nalconagar, Angul
- ii. Srikumar Sahu, Vill: Kurudol, Near P.T.C., : Member
Angul, Nalco Sramik Congress Union (Contract Labour Wing)

6. Under Regulation 10(A)(1)(f)

Branch Manager, Branch Office, : Member
E.S.I. Corporation, Angul : Ex-Officio Secretary

G.H. DAS, Regional Director
[ADVT.III/4/ Exty./42/14]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.रा.बी.योजना के अंतर्गत बलांगीर में स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं. 44-वी-34/12/14/94-हित.—यह एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली 1950 के विनियम 10 (क) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के जिला बलांगीर में बलांगीर क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख सप्रभावी होगी।

- | | |
|---|--|
| 1. <u>विनियम 10(क)(1)(क) के अंतर्गत</u>
उप जिलाधिकारी, बलांगीर | : अध्यक्ष |
| 2. <u>विनियम 10-(क)(1)(ख) के अंतर्गत</u>
जिला श्रम अधिकारी, बलांगीर | : सदस्य |
| 3. <u>विनियम 10-(क)(1)(ग) के अंतर्गत</u>
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क.रा.बी.औषधालय, बलांगीर | : सदस्य |
| 4. <u>विनियम 10-(क)(1)(घ) के अंतर्गत</u> <ul style="list-style-type: none"> i. श्री रोशन कुमार अब्बावत, पार्टनर, श्री बजरंगबली मटल इंडस्ट्रीज़,
सुदपड़ा, बलांगीर : सदस्य ii. श्री राजेंद्र कुमार साहू, निदेशक, होटल राजमहल प्रा.लि., बलांगीर : सदस्य iii. श्री अनुप कुमार दासगुप्ता, महाप्रबंधक, पुत्र- स्व. सचिदानंद दासगुप्ता,
मसर्स गणपति बालाजी स्पिनिंग मिल प्रा.लि., एट/पो/थाना- सोनपुर,
सुवर्णपुर : सदस्य iv. श्री सुशान्त चटर्जी, टाइम ऑफिस कार्यालय प्रभारी, पुत्र-स्व. सुधीर चटर्जी, ;
एट/पो/थाना-सोनपुर, जिला- सुवर्णपुर : सदस्य | |
| 5. <u>विनियम 10-(क)(1)(ड) के अंतर्गत</u> <ul style="list-style-type: none"> i. श्री प्रदीप पट्टनायक, मसर्स- सम्राट बकरीज़ एंड पस्ट्रीज़,
रमाई टॉकीज, बलांगीर : सदस्य ii. श्री भगवान महाराणा, मसर्स- प्रियदर्शिनी टॉकीज, ब्राह्मणपड़ा, बलांगीर : सदस्य iii. श्री धवलश्वर कुंभर, पुत्र-श्री पुरुषोत्तम कुंभर, मसर्स- गणपति बालाजी,
स्पिनिंग मिल प्रा.लि. : सदस्य iv. श्री जोगेन्द्र पंडा, फ्लैट ग्राइंडर एंड सहायक फिटर, पुत्र- जालंधर पंडा
एट/पो- घोड़ाघाटपड़ा, सोनपुर, जिला-सुवर्णपुर : सदस्य | |
| 6. <u>विनियम 10-(क)(1)(च) के अंतर्गत</u>
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, बलांगीर | : सदस्य
पदन्न सचिव
जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक |

[विज्ञापन-III/4/ असा./42/14]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub:Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Bolangir.

No. 44-V-34/12/14/94-Bft.—It is hereby notified that the local committee Bolangir, in the District of Bolangir, in the State of Odisha set up under Regulation-10(A) of E.S.I. (General) Regulation-1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

The local committee constituted earlier at Sonepur is hereby merged with Bolangir Local Committee.

1. <u>Under Regulation 10(A)(1)(a)</u> Sub-Collector, Bolangir	: Chairman
2. <u>Under Regulation 10(A)(1)(b)</u> Dist. Labour Officer, Bolangir	: Member
3. <u>Under Regulation 10(A)(1)(c)</u> Insurance Medical Officer-In-Charge of E.S.I. Dispensary, Bolangir	: Member
4. <u>Under Regulation 10(A)(1)(d)</u> - Roshan Kumar Agarwal, Partner, Shree Bajrangbali Metal Industries, Sudpada, Bolangir - Rajendra Kumar Sahoo, Director, Hotel Raj Mahal Pvt. Ltd. Bolangir - Anup Kumar Dasgupta, General Manager, S/o Late Sachidananda Dasgupta M/s. Ganapati Balaji Spinning Mill Pvt. Ltd., AT/PO/PS: Sonopore, Dist.: Subarnapur - Susanta Chatterjee, Time Office In-charge, S/o Late Sudhir Chatterji M/s. Ganapati Balaji Spinning Mill Pvt. Ltd., AT/PO/PS: Sonopore, Dist.: Subarnapur	: Member : Member : Member : Member
5. <u>Under Regulation 10(A)(1)(e)</u> - Sri Pradeep Pattnaik, M/s. Samrat Bakeries & Pastries, Ramai Takies, Bolangir - Bhagaban Maharana, M/s. Priyadarsini Talkies, Brahmanpada, Bolangir - Sri Dhabaleswar Kumbhar, Realer, S/o Sri Purusottam Kumbhar M/s. Ganapati Balaji Spinning Mill Pvt. Ltd., AT/PO/PS: Thanapatipada, Sonapur Dist.: Subarnapur - Sri Jogendra Panda, Flat Grinder & Asst. Fitter, S/o Jalandhar Panda, At/PO: Ghodaghatpada, Sonapur, Dist.: Subarnapur	: Member : Member : Member : Member
6. <u>Under Regulation 10(A)(1)(f)</u> Branch Manager, Branch Office E.S.I. Corporation, Bolangir	: Member Ex-Officio Secretary G.H. DAS, Regional Director [ADVT.-III/4/ Exty./42/14]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.रा.बी.योजना के अंतर्गत हीराकुद में स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं. 44-वी-34/12/13/82-हित.—यह एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली 1950 के विनियम 10 (क) के अंतर्गत ओड़िशा राज्य के जिला सम्बलपुर में हीराकुद क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

- | | |
|---|--------------------|
| 1. <u>विनियम 10(क)(1)(क) के अंतर्गत</u>
उप जिलाधिकारी, सम्बलपुर | : अध्यक्ष |
| 2. <u>विनियम 10-(क)(1)(ख) के अंतर्गत</u>
जिला श्रम अधिकारी, सम्बलपुर | : सदस्य |
| 3. <u>विनियम 10-(क)(1)(ग) के अंतर्गत</u>
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क.रा.बी.औषधालय, सम्बलपुर | : सदस्य |
| 4. <u>विनियम 10-(क)(1)(घ) के अंतर्गत</u> <ol style="list-style-type: none"> श्री मंगल भाई पटल, अध्यक्ष, उत्कल मर्चेंट वीडी असोसिएशन,
मस्जर्स- एम.सी. पटल एंड कं. फाटक, सम्बलपुर श्री रामगोविंद पोद्दार, मस्जर्स समलक्ष्मी राइस मिल
खड्ड चौक, सम्बलपुर | : सदस्य
: सदस्य |

5. विनियम 10-(क)(1)(ड) के अंतर्गत

- i. श्री गोकुल महर, राज्य सचिव, हिन्द मजदूर संघ, : सदस्य
एट/पो- सम्बलपुर
- ii. श्री मित्रभानु पोढ़ा, महासचिव, सम्बलपुर जिला, बीड़ी श्रमिक यूनियन/, : सदस्य
राज्य सचिव, एआईटीयूसी समिति

6. विनियम 10-(क)(1)(च) के अंतर्गत

- शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, सम्बलपुर : सदस्य
पदम सचिव

जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक

[विज्ञापन.-III/4/ असा./42/14]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub: **Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Hirakud.**

No. 44-V-34/12/13/82-Bft.—It is hereby notified that the local committee Hirakud, in the District of Sambalpur, in the State of Odisha set up under Regulation-10(A) of E.S.I. (General) Regulation-1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

The local committee constituted earlier at Sambalpur are hereby merged with Hirakud Local Committee.

1. Under Regulation 10(A)(1)(a) : Chairman
Sub-Collector, Sambalpur
2. Under Regulation 10(A)(1)(b) : Member
Distt. Labour Officer, Sambalpur
3. Under Regulation 10(A)(1)(c) : Member
Insurance Medical Officer-In-Charge of E.S.I. Dispensary, Sambalpur
4. Under Regulation 10(A)(1)(d) : Member
i. Sri Magan Bhai Patel, President, Utkal Merchant Bidi Association
M/s M.C. Patel and Co. Fatak, Sambalpur
ii. Sri Ramgovind Poddar, M/s Samaleswari Rice Mill, Remed Chawk
Sambalpur
5. Under Regulation 10(A)(1)(e) : Member
i. Sri Gokul Meher, States Secretary, Hind Majdoor Sangha
At/PO: Sambalpur
ii. Sri Mitrabhanu Podha, General Secretary, Sambalpur Jila,
Beedi Shramik Union/State Secretary, AITUC Committee
6. Under Regulation 10(A)(1)(f) : Member
Branch Manager, Branch Office, E.S.I. Corporation, Sambalpur
Ex-Officio Secretary

G.H. DAS, Regional Director

[ADVT.-III/4/ Exty./42/14]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.रा.बी.योजना के अंतर्गत ढेंकानाल में स्थानीय समिति का पुनर्गठन ।

सं. 44-वी-34/12/33/89-डि. —यह एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली 1950 के विनियम 10 (क) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के जिला ढेंकानाल में ढेंकानाल क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख संप्रभावी होगी।

1. विनियम 10(क)(1)(क) के अंतर्गत

: अध्यक्ष

उप जिलाधिकारी, ढेंकानाल

2. विनियम 10-(क)(1)(ख) का अंतर्गत : सदस्य
जिला श्रम अधिकारी, ढेंकानाल
3. विनियम 10-(क)(1)(ग) का अंतर्गत : सदस्य
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क.रा.बी.औषधालय, ढेंकानाल
4. विनियम 10-(क)(1)(घ) का अंतर्गत
i. श्री रघुनाथ सिंह, कार्यप्रबंधक, मजर्स यूएल, ओडिशा : सदस्य
एट/पोस्ट-कोरियन, ढेंकानाल
ii. श्री संदीप कुमार बह्मरा, महाप्रबंधक, एच आर एंड प्रशासन, मजर्स नरभद्राम : सदस्य
पावर एंड स्टील प्रा.लि., एट/पोस्ट-गुंडीचापड़ा, ढेंकानाल
iii. श्री रश्मि रंजन महापात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मजर्स कलिंग जूट प्रोडक्ट्स : सदस्य
प्रा.लि., ढेंकानाल
5. विनियम 10-(क)(1)(ड) का अंतर्गत
i. नासिर अहमद अली खान, अध्यक्ष, नीलाचल स्मॉल-स्केल लैबर यूनियन, : सदस्य
एट/पो- गुंडीचापड़ा, जिला-ढेंकानाल
ii. श्री कृष्ण प्रसाद महान्ति, अध्यक्ष, कलिंग झोटा कर्मचारी श्रमिक संघ, : सदस्य
ढेंकानाल
iii. श्री दिनश प्रधान, अध्यक्ष, उत्कल अस्ट्रबुट्स प्रोप्रायिटी एम्प्लॉईस यूनियन, : सदस्य
कोरियन, ढेंकानाल
6. विनियम 10-(क)(1)(च) का अंतर्गत
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, ढेंकानाल : सदस्य
पदम सचिव

जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक

[विज्ञापन.-111/4/ असा./42/14]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub:Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Dhenkanal.

No.44-V-34/12/33/89-Bft.—It is hereby notified that the local committee Dhenkanal, in the District of Dhenkanal, in the State of Odisha set up under Regulation-10(A) of E.S.I. (General) Regulation-1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

The local committee constituted earlier at Govindpur is hereby merged with Dhenkanal Local Committee.

1. Under Regulation 10(A)(1)(a) : Chairman
Sub-Collector, Dhenkanal
2. Under Regulation 10(A)(1)(b) : Member
Dist. Labour Officer, Dhenkanal
3. Under Regulation 10(A)(1)(c) : Member
Insurance Medical Officer-In-Charge,
of E.S.I. Dispensary, Dhenkanal
4. Under Regulation 10(A)(1)(d)
i. Sri Raghunath Singh, Work Manager, M/s UAL, Odisha : Member
At/PO: Korian, Dhenkanal

- ii. Sri Sandeep Kumar Behera, General Manager, HR & Admin., : Member
M/s Narbheram Power & Steel Pvt. Ltd., At/PO: Gundichapada, Dhenkanal
- iii. Sri Rashmi Ranjan Mahapatra, Chief Executive Officer, M/s Kalinga : Member
Jute Products Pvt. Ltd., Dhenkanal
5. Under Regulation 10(A)(1)(e)
- i. Naser Ahmad Alli Khan, President, Neelachal Refractories Labour Union, : Member
At/PO: Gundichapada, Dist: Dhenkanal
- ii. Sri Krushna Prasad Mohanty, President, Kalinga Jhota Karmachari : Member
Shramika Sangha, Dhenkanal
- iii. Sri Dinesh Pradhan, President, Utkal Asbestos Progressive Employees : Member
Union, Korian, Dhenkanal
6. Under Regulation 10(A)(1)(f) : Member
Branch Manager, Branch Office, E.S.I. Corporation, Dhenkanal Ex-Officio Secretary

G.H. DAS, Regional Director
[ADVT.-III/4/ Exty./42/14]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.रा.बी.योजना के अंतर्गत पारादीप में स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं. 44-वी-34/12/36/89-हित.—यह एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली 1950 के विनियम 10 (क) के अंतर्गत ओड़िशा राज्य के जिला जगतसिंहपुर में पारादीप क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख सप्रभावी होगी।

1. विनियम 10(क)(1)(क) के अंतर्गत : अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी, जगतसिंहपुर
2. विनियम 10-(क)(1)(ख) के अंतर्गत : सदस्य
जिला श्रम अधिकारी, जगतसिंहपुर
3. विनियम 10-(क)(1)(ग) के अंतर्गत : सदस्य
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क.रा.बी.औषधालय, पारादीप
4. विनियम 10-(क)(1)(घ) के अंतर्गत
 - i. श्री संग्राम कसरी स्वाई, प्रबंधक(पी.एंड आईआर), पारादीप : सदस्य
फॉरफ्रंट लि., एट- पीपीएल टाउनशिप, पो-पारादीप, जिला-
जगतसिंहपुर
 - ii. श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, उप प्रबंधक(एच आर), मसर्स इफको लि. : सदस्य
पारादीप यूनिट, एट-मुसदिया, पो- पारादीप, जिला- जगतसिंहपुर
 - iii. श्री चित्त रंजन मिश्र, प्रबंधक(एच आर), मसर्स सब मिलर इंडिया लि. : सदस्य
(यूनिट ईस्ट कोस्ट ब्रूरीज), एट/पो-पारादीप, जिला-जगतसिंहपुर
5. विनियम 10-(क)(1)(ड) के अंतर्गत
 - i. श्री क्षिरोद च.ओझा, महासचिव, पारादीप फॉरफ्रंट स्टाफ : सदस्य
असोशिएशन, एट-पीपीएल टाउनशिप, पो-पारादीप, जिला- जगतसिंहपुर
 - ii. श्री लाल बहादुर सिंह, महासचिव, इफको एम्प्लॉईस यूनियन, क्वार्टर सं. : सदस्य

बी-4/जी-7, इफको टाउनशिप, एट- मुसदिया, पो- पारादीप, जिला- जगतसिंहपुर

iii. उल्लास स्वाई, महासचिव, पारादीप इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन, क्वार्टर सं.- : सदस्य

बीए-25, पोर्ट कॉलोनी, अठरबांकी, पारादीप, जिला- जगतसिंहपुर

6. विनियम 10-(क)(1)(च) का अंतर्गत

शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, पारादीप : सदस्य

पदम सचिव

जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक

[विज्ञापन.-III/4/ असा./42/14]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub:Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Paradeep.

No.44-V-34/12/36/89-Bft.—It is hereby notified that the local committee Paradeep, in the District of Jagatsinghpur, in the State of Odisha set up under Regulation-10(A) of E.S.I. (General) Regulation-1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

1. Under Regulation 10(A)(1)(a) : Chairman
Sub-Collector, Jagatsinghpur
2. Under Regulation 10(A)(1)(b) : Member
Distt. Labour Officer, Jagatsinghpur
3. Under Regulation 10(A)(1)(c) : Member
Insurance Medical Officer-In-Charge
of E.S.I. Dispensary, Paradeep
4. Under Regulation 10(A)(1)(d)
 - i. Sangram Keshari Swain, Manager(P & IR), Paradeep Phosphate Ltd., At: PPL Township, PO- Paradeep, Dist.- Jagatsinghpur :Member
 - ii. Dharmendra Kumar Mishra, Dy. Manager (HR), M/s IFFCO Ltd., Paradeep Unit, At- Musadia, PO- Paradeep, Dist.- Jagatsinghpur : Member
 - iii. Chitta Ranjan Mishra, Manager(HR), M/s. SAB Miller India Ltd., (Unit East Coast Breweries), At/PO- Paradeep, Dist.- Jagatsinghpur : Member
5. Under Regulation 10(A)(1)(e)
 - i. Sri Khirod Chandra Ojha, The General Secretary, Paradeep Phosphate Staff Association, At-PPL Township, PO- Paradeep, Dist.- Jagatsinghpur : Member
 - ii. Sri Lal Bahadur Singh, General Secretary, IFFCO Employees Union, Qr. No. B-4/G-7, IFFCO Township, At- Musadia, PO- Paradeep, Dist.- Jagatsinghpur : Member
 - iii. Ullas Swain, General Secretary, Paradeep Industrial Workers Union, QR No. BA-25, Port Colony, Atharbanki, Paradeep Dist. Jagatsinghpur : Member
6. Under Regulation 10(A)(1)(f) : Member
Branch Manager, Branch Office, E.S.I. Corporation, Paradeep Ex-Officio Secretary

G.H.DAS, Regional Director

[ADVT.-III/4/ Exty./42/14]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.रा.बी.योजना के अंतर्गत बरहमपुर में स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं. 44-वी-34/12/3/82-हित.—यह एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली, 1950 के विनियम 10 (क) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के जिला गंजाम में बरहमपुर क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख सप्रभावी होगी।

- | | |
|---|-----------|
| 1. <u>विनियम 10(क)(1)(क) के अंतर्गत</u>
उप जिलाधिकारी, गंजाम | : अध्यक्ष |
| 2. <u>विनियम 10-(क)(1)(ख) के अंतर्गत</u>
जिला श्रम अधिकारी, गंजाम | : सदस्य |
| 3. <u>विनियम 10-(क)(1)(ग) के अंतर्गत</u>
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क.रा.बी.औषधालय, बरहमपुर | : सदस्य |
| 4. <u>विनियम 10-(क)(1)(घ) के अंतर्गत</u> <ul style="list-style-type: none"> i. श्री नीरज कुमार शुक्ला, ऑपरेशन प्रबंधक, मसर्स ईस्टर्न हवरीज
प्रा. लि., रामचन्द्रपुर, कुकुड़ाहांडी, गंजाम ii. श्री अशोक लोहिया, प्रबंध निदेशक, मसर्स लोहिया मोटर्स, धर्मा नगर
मन रोड, बरहमपुर, गंजाम | : सदस्य |
| 5. <u>विनियम 10-(क)(1)(ड) के अंतर्गत</u> <ul style="list-style-type: none"> i. श्री जगन्नाथ पंडा, आई पी सं. 4400467718, पुत्र- स्व. लिंगराज पंडा,
मसर्स श्री दुर्गा वर्लॉथ स्टोर के कर्मचारी, बड़ा बाजार, बरहमपुर, गंजाम ii. श्री पद्म नाभ साहू, आई पी सं. 4400465600, पुत्र-काशीनाथ साहू,
लोहिया ब्रदर्स के कर्मचारी, बरहमपुर, गंजाम | : सदस्य |
| 6. <u>विनियम 10-(क)(1)(च) के अंतर्गत</u>
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गंजाम | : सदस्य |

पदन सचिव

जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक

[विज्ञापन.-III/4/ असा./42/14]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub: Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Berhampur.

No. 44-V-34/12/3/82-Bft.—It is hereby notified that the local committee Berhampur, in the District of Ganjam, in the State of Odisha set up under Regulation, 10(A) of E.S.I. (General) Regulation, 1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

The local committee constituted earlier at Aska, Berhampur, Ganjam are hereby merged with Berhampur Local Committee.

- | | |
|--|------------|
| 1. <u>Under Regulation 10(A)(1)(a)</u>
Sub-Collector, Ganjam | : Chairman |
| 2. <u>Under Regulation 10(A)(1)(b)</u>
Dist. Labour Officer, Ganjam | : Member |
| 3. <u>Under Regulation 10(A)(1)(c)</u>
Insurance Medical Officer-In-Charge
of E.S.I. Dispensary, Berhampur | : Member |

4. Under Regulation 10(A)(1)(d)

- i. Sri Niraj Kumar Shukla, Operation Manager, M/s. Eastern Hatcheries Pvt. Ltd., Ramachandrapur, Kukudakhandi, Ganjam : Member
- ii. Sri Ashok Lohiya, Managing Director, M/s. Lohiya Motors, Dharma Nagar, Main Road, Berhampur, Ganjam : Member

5. Under Regulation 10(A)(1)(e)

- i. Sri Jagannath Panda, IP No. 4400467718, S/o Late Lingaraj Panda, Employee on M/s. Sri Durga Cloth Store, Bada Bazar, Behrampur, Ganjam : Member
- ii. Sri Padma Nabha Sahu, IP No. 4400465600, S/o: Kasinath Sahu Employee of M/s. Lohiya Brothers, Urban Bank Road, Berhampur, Ganjam : Member

6. Under Regulation 10(A)(1)(f)

- Branch Manager, Branch Office, : Member
E.S.I. Corporation, Ganjam
Ex-Officio Secretary
G.H. DAS, Regional Director
[ADVT.III/4/ Exty./42/14]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.रा.बी.योजना के अंतर्गत झारखण्ड में स्थानीय समिति का पुनर्गठन ।

सं. 44-वी-34/12/24/98-हित.—यह एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली, 1950 के विनियम 10 (क) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के जिला झारखण्ड में झारखण्ड क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख संप्रभावी होगी।

1. विनियम 10(क)(1)(क) के अंतर्गत : अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी, झारखण्ड
2. विनियम 10-(क)(1)(ख) के अंतर्गत : सदस्य
जिला श्रम अधिकारी, झारखण्ड
3. विनियम 10-(क)(1)(ग) के अंतर्गत : सदस्य
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क.रा.बी.औषधालय, झारखण्ड
4. विनियम 10-(क)(1)(घ) के अंतर्गत
i. श्री अनूप कुमार, प्रबंधक(एच आर), मजर्स वद्वान्त एल्युमिनियम लि. : सदस्य
बुरखामुंडा, जिला- झारखण्ड, पिन-768201
ii. श्री दबाशीष नायक, एच आर, मजर्स कोनकास्ट स्टील & पावर लि., : सदस्य
इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, कुकुरजंघा, झारखण्ड
5. विनियम 10-(क)(1)(ड) के अंतर्गत
i. श्री महेश्वर बारिक, महासचिव, क्रिकेट प्रॉडक्ट श्रमिक संघ, : सदस्य
एट/पो- बह्रामल
ii. श्री सुखंद प्रसाद राय, अध्यक्ष, जय हनुमान उद्योग मज़दूर संघ, : सदस्य
एट-ब्रजराजनगर, जिला- झारखण्ड
6. विनियम 10-(क)(1)(च) के अंतर्गत
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, झारखण्ड : सदस्य

पटन सचिव

जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक

[विज्ञापन.-III/4/ असा./42/14]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub: Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Jharsuguda.

No. 44-V-34/12/24/98-Bft.— It is hereby notified that the local committee Jharsuguda, in the District of Jharsuguda, in the State of Odisha set up under Regulation, 10(A) of E.S.I. (General) Regulation, 1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

The local committee constituted earlier at Brajarajnagar and Laponga are hereby merged with Jharsuguda Local Committee.

1. Under Regulation 10(A)(1)(a)

Sub-Collector, Jharsuguda : Chairman

2. Under Regulation 10(A)(1)(b)

Distt. Labour Officer, Jharsuguda : Member

3. Under Regulation 10(A)(1)(c)

Insurance Medical Officer-In-Charge : Member
of E.S.I. Dispensary, Jharsuguda

4. Under Regulation 10(A)(1)(d)

i. Mr. Anoop Kumar, Manager(HR), M/s. Vedant Aluminium : Member
Ltd., Burkhamunda, Dist: Jharsuguda
PIN: 768201

ii. Mr. Debasis Nayak, HR, M/s. Concast Steel & Power : Member
Ltd., Industrial Growth Centre, Kukurjangha, Jharsuguda

5. Under Regulation 10(A)(1)(e)

i. Maheswar Barik, General Secretary, : Member
Concrete Product Shramik Sangha, At/PO- Beheramal

ii. Mr. Surendra Prasad Ray, President, Jai Hanuman Udyog : Member
Mazdoor Sangha, At-Brajarajnagar, Dist.- Jharsuguda

6. Under Regulation 10(A)(1)(f)

Branch Manager, Branch Office : Member

E.S.I. Corporation, Jharsuguda : Ex-Officio Secretary

G.H.DAS, Regional Director

[ADVT.III/4/ Exty./42/14]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.स.बी. योजना के अंतर्गत धानमंडल में स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं. 44-वी-34/12/1/82-हित.—यह एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली, 1950 का विनियम, 10 (क) के अंतर्गत ओड़िशा राज्य के जिला जाजपुर में धानमंडल क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख सप्रभावी होगी।

1. विनियम 10(क)(1)(क) के अंतर्गत : अध्यक्ष

उप जिलाधिकारी, जाजपुर

2. विनियम 10-(क)(1)(ख) के अंतर्गत : सदस्य

जिला श्रम अधिकारी, जाजपुर रोड

3. विनियम 10-(क)(1)(ग) क अंतर्गत : सदस्य
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क.रा.बी.औषधालय, धानमंडल
4. विनियम 10-(क)(1)(घ) क अंतर्गत
i. श्री दीनदयाल अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, मसर्स सूर्या स्पोंज आइरन लि. : सदस्य
बूढ़ाकंडुआ, कालाकाला, जाजपुर
ii. श्री दिलीप बल, महासचिव, चंडीखोल स्टोन क्रशर असोशिएशन, : सदस्य
एट/पो-अरुवा, जाजपुर
5. विनियम 10-(क)(1)(ड) क अंतर्गत
i. श्री अरुण कुमार धीर, महासचिव, बूढ़ाकंडुआ आंचलिका श्रमिक संघ, : सदस्य
बूढ़ाकंडुआ, काला काला, जाजपुर
ii. श्री अजय महान्ति, महासचिव, सूर्या स्पोंज आइरन लि., : सदस्य
बूढ़ाकंडुआ, काला काला, जाजपुर
6. विनियम 10-(क)(1)(च) क अंतर्गत
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, धानमंडल : सदस्य
पदम सचिव
जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक
[विज्ञापन.-III/4/ असा./42/14]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub: Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Dhanmandal.

No. 44-V-34/12/1/82-Bft.—It is hereby notified that the local committee Dhanmandal, in the District of Jajpur, in the State of Odisha set up under Regulation, 10(A) of E.S.I. (General) Regulation, 1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

1. Under Regulation 10(A)(1)(a) : Chairman
Sub-Collector, Jajpur
2. Under Regulation 10(A)(1)(b) : Member
Dist. Labour Officer, Jajpur Road
3. Under Regulation 10(A)(1)(c) : Member
Insurance Medical Officer-In-Charge
of E.S.I. Dispensary, Dhanmandal
4. Under Regulation 10(A)(1)(d) : Member
i. Sri Dindayal Agrawal, Managing Director, M/s. Surya Sponge Iron
Ltd., Budhakndua, KalaKala, Jajpur
ii. Sri Dillip Bal, General Secretary, Chandikhol Stone Crusher
Association, At/PO-Arua, Jajpur. : Member
5. Under Regulation 10(A)(1)(e) : Member
i. Sri Arun Kumar Dhir, General Secretary, Budhakndua Anchalika
Shramik Sangha, Budhakndua, Kalakala, Jajpur
ii. Sri Ajoy Mohanty, General Secretary, Surya Sponge Iron
Ltd., Budhakndua, Kalakala, Jajpur : Member
6. Under Regulation 10(A)(1)(f) : Member
Branch Manager, Branch Office, E.S.I. Corporation, Dhanmandal
Ex-Officio Secretary
G.H. DAS, Regional Director
[ADVT.III/4/ Ety./42/14]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.रा.बी.योजना के अंतर्गत कटक में स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं. 44-वी-34/12/38/91-हित.—यह एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली, 1950 के विनियम, 10 (क) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के जिला कटक में कटक क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख सप्रभावी होगी।

1. विनियम 10(क)(1)(क) के अंतर्गत : अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी, कटक
2. विनियम 10(क)(1)(ख) के अंतर्गत : सदस्य
जिला श्रम अधिकारी, कटक
3. विनियम 10(क)(1)(ग) के अंतर्गत : सदस्य
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क.रा.बी.औषधालय, खपुरिया
4. विनियम 10(क)(1)(घ) के अंतर्गत
i. श्री बी.सी.महान्ति, प्रबंध निदेशक, मसर्स ओरिवलीन प्रा. लि. : सदस्य
एट. बंडलो, थाना- कोटशाही, वया- टाँगी, कटक-754022
ii. श्री सुखदनाथ पंडा, निदेशक, मसर्स भारत स्पाइस प्रा. लि., : सदस्य
न्यू इंडस्ट्रियल इस्टट, इमाम नगर, जगतपुर, कटक- 754200
5. विनियम 10(क)(1)(ड) के अंतर्गत
i. श्री सुखदनाथ बिश्वाल, महासचिव, इंडस्ट्रियल इस्टट एम्प्लॉईस यूनियन, : सदस्य
गोशाला रोड, नयाबाजार
ii. श्री भारत कुमार साहू, अध्यक्ष, खपुरिया शिल्पांचल कर्मचारी : सदस्य
संघ, दातानाथ भवन, प्लॉट सं- 476, सैक्टर-8, सीडीए, कटक
6. विनियम 10(क)(1)(च) के अंतर्गत
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कल्याणी नगर : सदस्य
पदन सचिव
जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक

[विज्ञापन.-III/4/ असा./42/14]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub: Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Cuttack.

No. 44-V-34/12/38/91-Bft.—It is hereby notified that the local committee Cuttack, in the District of Cuttack, in the State of Odisha set up under Regulation, 10(A) of E.S.I.(General) Regulation, 1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

The local committees constituted earlier at Kalyaninagar, Rajabagicha, Telengapentha and Jagatpur are hereby merged with Cuttack Local Committee.

1. Under Regulation 10(A)(1)(a) : Chairman
Sub-Collector, Cuttack
2. Under Regulation 10(A)(1)(b) : Member
Distt. Labour Officer, Cuttack
3. Under Regulation 10(A)(1)(c)
Insurance Medical Officer-In-Charge of E.S.I. Dispensary, : Member
Khapuria

4. Under Regulation 10(A)(1)(d)

- i. Sri B.C. Mohanty, Managing Director, M/s. Oriclean Pvt. Ltd. : Member
At: Bandalo, PS: Kotasahi, Via: Tangi, Cuttack-754022
- ii. Sri Surendranath Panda, Director, M/s. Bharat Spices Pvt. Ltd., : Member
New Industrial Estate, Imam Nagar, Jagatpur, Cuttack-754200

5. Under Regulation 10(A)(1)(e)

- i. Sri Surendranath Biswal, General Secretary, Industrial Estate : Member
Employees Union, Gosala Road, Nayabazar,
Cuttack-753004
- ii. Sri Bharat Kumar Sahoo, President, Khapurja Silpanchal : Member
Karmachari Sangha, Datatreya Bhawan, Plot No.D-476, Sector-8
CDA, Cuttack

6. Under Regulation 10(A)(1)(f)

Branch Manager, Branch Office, E.S.I. Corporation, Kalyani Nagar

: Member

Ex-Officio Secretary

G. H. DAS, Regional Director
[ADVT.III/4/ Exty./42/14]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.रा.बी.योजना के अंतर्गत बरगढ़ में स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं. 44-वी-34/12/10/82-हित.—यह एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली, 1950 का विनियम, 10 (क) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के जिला बरगढ़ में बरगढ़ क्षत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

1. विनियम 10(क)(1)(क) के अंतर्गत : अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी, बरगढ़
2. विनियम 10-(क)(1)(ख) के अंतर्गत : सदस्य
जिला श्रम अधिकारी, बरगढ़
3. विनियम 10-(क)(1)(ग) के अंतर्गत : सदस्य
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क.रा.बी.औषधालय, बरदोल
4. विनियम 10-(क)(1)(घ) के अंतर्गत
i. श्री जमंडाविया, मुख्य प्रबंधक, एच आर, मजर्स एसीसी लि.बरगढ़, : सदस्य
सीमेंट वर्क, बरदोल, बरगढ़
ii. श्री अनिल दूबे, उपप्रबंधक, एच आर, मजर्स एसीसी लि.बरगढ़, : सदस्य
सीमेंट वर्क, बरदोल, बरगढ़
iii. श्री गणेश पंडा, डॉक्टर, मजर्स एसीसी लि.बरगढ़, : सदस्य
सीमेंट वर्क, बरदोल, बरगढ़
5. विनियम 10-(क)(1)(ड) के अंतर्गत
i. श्री श्याम कुमार बहड़ा, सदस्य, हीरा सीमेंट श्रमिक संघ, : सदस्य
बरगढ़
ii. श्री विनोद बिहारी पंडा, सदस्य, हीरा सीमेंट श्रमिक संघ, : सदस्य
बरगढ़
iii. श्री माधव सुना, सदस्य, इडकोल सीमेंट मजदूर संघ, : सदस्य
बरगढ़
6. विनियम 10-(क)(1)(च) के अंतर्गत
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, बरगढ़ : सदस्य

पदन सचिव

जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक

[विज्ञापन.-III/4/ असा./42/14]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub: Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Bargarh.

No. 44-V-34/12/10/82-Bft.—It is hereby notified that the local committee Bargarh, in the District of Bargarh, in the State of Odisha set up under Regulation, 10(A) of E.S.I. (General) Regulation, 1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

The local committee constituted earlier at Bardol, Tora are hereby merged with Bargarh Local Committee.

1. Under Regulation 10(A)(1)(a) : Chairman
Sub-Collector, Bargarh
 2. Under Regulation 10(A)(1)(b) : Member
Distt. Labour Officer, Bargarh
 3. Under Regulation 10(A)(1)(c) : Member
Insurance Medical Officer-In-Charge
of E.S.I. Dispensary, Bardol
 4. Under Regulation 10(A)(1)(d) : Member
 - i. Sri J. Mandavia, Chief Manager, HR, M/s. ACC Ltd. Bargarh
Cement Work, Bardol, Bargarh
 - ii. Sri Anil Dubey, Deputy Manager, HR, M/s. ACC Ltd. Bargarh
Cement Works, Bardol, Bargarh
 - iii. Dr. Ganesh Panda, Doctor, M/s. ACC Ltd. Bargarh Cement Works
Bardol, Bargarh
 5. Under Regulation 10(A)(1)(e) : Member
 - i. Sri Shyam Kumar Behera, Member of Hira Cement Shramik Sangha,
Bargarh
 - ii. Sri Binod Bihari Panda, Member Of Hira Cement Shramik Sangha,
Bargarh
 - iii. Sri Madhab Suna, Member Of IDCOL Cement Mazdoor Sangha,
Bargarh
 6. Under Regulation 10(A)(1)(f) : Member
Branch Manager, Branch Office, E.S.I. Corporation, Bargarh
- Ex-Officio Secretary
G.H. DAS, Regional Director
[ADVT.III/4/ Eqty./42/14]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 नवम्बर, 2013

विषय : क.रा.बी.योजना के अंतर्गत राउरकेला में स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं. 44-वी-34/12/27/87-हित.—यह एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली, 1950 का विनियम, 10 (क) का अंतर्गत ओडिशा राज्य का जिला सुंदरगढ़ में राउरकेला क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना का जारी होने की तारीख सप्रभावी होगी।

1. विनियम 10(क)(1)(क) का अंतर्गत : अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी, राउरकेला
2. विनियम 10-(क)(1)(ख) का अंतर्गत : सदस्य
जिला श्रम अधिकारी, राउरकेला
3. विनियम 10-(क)(1)(ग) का अंतर्गत : सदस्य
प्रभारी बीमा विक्रित्सा अधिकारी
क.रा.बी.औषधालय, सीआईएसएफ, राउरकेला
4. विनियम 10-(क)(1)(घ) का अंतर्गत : सदस्य
 - i. श्री दब रंजन पाणिग्रही, मसर्स ईस्ट इंडिया स्टील्स (प्रा.) लि.,
इंडस्ट्रियल इस्टेट, राउरकेला, जिला- सुंदरगढ़

- ii. श्री चंद्रकांत नायक, पर्सनल मैनेजर, मसर्स गृहस्थी उद्योग,
छेड बस्ती, राउरकला-15, जिला- सुंदरगढ़ : सदस्य
5. विनियम 10-(क)(1)(ड) के अंतर्गत
- i. श्री गिरिजा नन्दन त्रिपाठी, महासचिव, राउरकला इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन
राउरकला, जिला- सुंदरगढ़ : सदस्य
- ii. श्री ए.क. जना, उपाध्यक्ष, सुंदरगढ़ श्रमिक संघ, राउरकला,
जिला- सुंदरगढ़ : सदस्य
6. विनियम 10-(क)(1)(च) के अंतर्गत
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी. निगम, राउरकला : सदस्य
पदन सचिव
जी. एच. दास, क्षेत्रीय निदेशक
[विज्ञापन.-III/4/ असा./42/14]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th November, 2013

Sub : Reconstitution of Local Committee under E.S.I. Scheme at Rourkela.

No.44-V-34/12/27/87-Bft.—It is hereby notified that the local committee Rourkela, in the District of Sundergarh, in the State of Odisha set up under Regulation, 10(A) of E.S.I.(General) Regulation, 1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification.

The Local Committees constituted earlier at Kalunga, IDL Chemical & HSL Area, Rourkela are hereby merged with Rourkela Local Committee.

1. Under Regulation 10(A)(1)(a) : Chairman
Sub-Collector, Rourkela
2. Under Regulation 10(A)(1)(b) : Member
Distt. Labour Officer, Rourkela
3. Under Regulation 10(A)(1)(c) : Member
Insurance Medical Officer-In-Charge
of E.S.I. Dispensary, CISF, Rourkela
4. Under Regulation 10(A)(1)(d)
- i. Sri Deba Ranjan Panigrahi, M/s. East India Steels (P) Ltd., : Member
Industrial Estate, Rourkela,
Dist.- Sundergarh
- ii. Sri Chandrakanta Nayak, Personal Manager, : Member
M/s. Grihasti Udyog, Chhend Basti, Rourkela-15,
Dist.: Sundergarh
5. Under Regulation 10(A)(1)(e)
- i. Sri Girija Nandan Tripathy, : Member
General Secretary, Rourkela Engineering Workers Union,
Rourkela, Dist.: Sundergarh
- ii. Sri A. K. Jena, Vice President, : Member
Sundergarh Sramik Sangha, Rourkela
Dist: Sundergarh
6. Under Regulation 10(A)(1)(f) : Member
Branch Manager, Branch Office, E.S.I. Corporation, Rourkela
Ex-Officio Secretary
G.H. DAS, Regional Director
[ADV.T.III/4/ Ety./42/14]